

फर्द अहकाम


(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

परथु पिता खुराज गाडरी निवासी रघुनाथपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
बनाम

ग्राम पंचायत अड़ाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अड़ाना वगैरा

प्रकरण संख्या 22/2018 (नि.पं.)

| तारीख हुक्म | <i>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</i> | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 12.06.24 | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगराकार पूर्व पेशी पर भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिस पर उन्हें न्यायहित में अवसर दिया गया था फिर भी अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>  | |